न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल,आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 214 / 2021
दायर दिनांक :– 20 / 12 / 2021
निर्णय दिनांक :– 21 / 08 / 2025

1. मांगीदेवी पत्नि नानालाल कुम्हार निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

–:बनाम:–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. अमरी पत्नि दल्ला कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. गोरख पिता चेना कालबेलिया (मृतक) तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. बंशीलाल पिता गोरख कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. इन्द्रा पिता गोरख कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. बदाम पिता गोरख कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. रामुडी पिता गोरख कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. केसर पिता गोरख कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. देवा पिता दल्ला कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. दाखी पत्नि छोगा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. धन्ना पिता छोगा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. पप्पु पिता छोगा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. बालु पिता दल्ला कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. भैरु पिता चेना कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

14. मोतीलालपिताछोगा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. मोहन पिता चेना कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
16. वरदा पिता दल्ला कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
17. वालु पिता छोगा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
18. शम्भुलाल पिता तुलछा कालबेलिया निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
19. सुरेशचन्द्र पिता लालु रेगर निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
20. चुन्नीलाल पिता रता रेगर निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
21. ग्राम पंचायत बनेडिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
22. जगजीतसिंह पिता गणपतसिंह राजपुत निवासी बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से —श्री शान्तिलाल जाट अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से —मदनलाल सालवी अधिवक्ता

दिनांक— 21 / 08 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 एल. आर. एक्ट

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 एल. आर. एक्ट के प्रस्तुत किया कि ग्राम बनेडिया पटवार हल्का बनेडिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 22के संयुक्त स्वातित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 2417 / 1178 रकबा 0.6475 हैक्टयर ग्राम बनेडिया पटवार हल्का वनेडिया तहसील रेलमगरा में स्थित हैं। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश हैं।उक्त आराजी व इस आराजी के चारों तरफ की आराजीयात के बिच स्थाई सीमांकन चिन्ह नही होने से विवाद होने की आंशका बनी रहती है व प्रार्थीया ने इसके लिये सीमा जानकारी भी दिनांक 25.06.2021 को करवाई जिसका पर्चा मौका पटवारी हल्का बनेडिया द्वारा तैयार किया गया जिसकी नकल साथ संलग्न हैं। सीमा जानकारी के बाद भी

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थीया की उक्त आराजी की सीमाओं बाबत विवाद होने की आंशका है जिससे प्रार्थीया उक्त आराजी की चारों सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं। जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थीया की आराजी संख्या 2417/1178 के उत्तर दिशा में बिलानाम आम रास्ता आराजी संख्या 1179 विपक्षी संख्या 01 की भूमि स्थित हैं। तथा प्रार्थीया की इस आराजी दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 02 से लगायत 18 की आराजी संख्या 1177 रकबा 0.2509 एंव विपक्षी संख्या 19 की आराजी संख्या 2341/1178 रकबा 0.4047 हेक्टेयर तथा विपक्षी संख्या 20 की आराजी संख्या 2439/1178 रकबा 0.4047 हेक्टेयर व कुछ भाग पर आराजी संख्या 2315/1178 रकबा 0.2428 हेक्टेयर विपक्षी संख्या 21 ग्राम पंचायत की आबादी भूमि स्थित हैं। इसमें आराजी संख्या 1177 के खातेदार गोरख पुत्र चेना कालबेलिया की मृत्यु हो गई जिसके पिछे वारिस विपक्षीगण संख्या 03 से लगायत 07 है जिसको इस मामले में पक्षकार बनाया गया हैं इनके नाम पर अभी तक नामान्तरणकरण नहीं खुला है इसी प्रकार प्रार्थीया की आराजी संख्या 2417/1178 के प्रर्व दिशा में आराजी संख्या 2601/2164 रकबा 17.6038 हेक्टेयर चारागाह भूमि स्थित है जो कि सरकारी भूमि है तथा प्रार्थीया की आराजी संख्या 2417/1178 के पश्चिम दिशा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि स्थित है जिसके आराजी नम्बर 2327/1178 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, 2315/1178 रकबा 0.2428 हेक्टेयर व आराजी संख्या 2313/1178 रकबा 0. 2428 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिससे इस मामले में राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा व ग्राम पंचायत बनेडिया को भी पक्षकार बनाये गये है तथा रास्ते के आराजी नम्बर 1179 का रकबा 0.2833 हेक्टेयर हैं।प्रार्थीया अपनी आराजी संख्या 2417/1178 के चारों दिशाओं की सीमा पर पत्थरगढी करवाना चाहती है तथा विपक्षी संख्या 22 बाहर रहते हैं व यहां पर आने में असमर्थन हैं। इस कारण उन्हें प्रफोमा के रुप में पक्षकार बनाये गये हैं। क्योंकि आराजी संख्या 2417/1178 के 1/2 हिस्से के खातेदार है इनके विरुद्व किसी की रिलीफ नही चाही गई हैं। कानुननआपति वंश प्रफोमा पक्षकार बनाया गया हैं। विपक्षीगण संख्या 22 के अलावा अन्य को पत्थरगढी के लिये कहने पर टालम टोल जवाब दिया व विपक्षी संख्या 02 से लगायत 20 ने आज से 15 रोज पुर्व पत्थरगढी कराने से मना कर दिया तब से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन होकर निरन्तर जारी हैं।किसी कानुनी आपति के प्रार्थीया की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की पत्थरगढी किया जाना संभव नही हो तो अन्य दिशा की जावें। अन्यथा चारों दिशाओं की जावें। **अतः प्रार्थना है कि** प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 2417/1178 के चारों दिशाओं की सीमा पर पम्थरगढी किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को कमिश्नरनियुक्त किया जाकर आदेश प्रदान किया जावें खर्चा नियमानुसार प्रार्थीया जमा कराने को तैयार हैं। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 से लगायत 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 19 व 20 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस चाही गयी।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129,111 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम बनेडिया पटवार हल्का बनेडिया स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 2417/1178 एवं विपक्षी के मध्य पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है व तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष प्रार्थी एवं विपक्षीगण को सूचित करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी का कब्जा प्रभावित किये तहसीलदार रेलमगरा अपनी टीम गठीत कर पत्थरगढी कराया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौका कमिश्नर शुल्क 1500/—रुपये अदा करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी • रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा